भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1576

जिसका उत्तर सोमवार, 9 फरवरी, 2026/20 माघ, 1947 (शक) को दिया गया

करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक

1576. श्री एन. के. प्रेमचन्द्रन:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्र सरकार ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं से जुड़े प्रमुख घोटाले और केरल के सहकारी बैंकों में ऐसे अन्य प्रमुख घोटालों के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरु की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा उक्त बैंकों में जमा धनराशि की वापसी के लिए कोई कार्रवाई शुरु करने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवााई की गई है;

(ग) क्या केन्द्रीय अभिकरणों ने उक्त राज्य में सहकारी बैंक घोटालों के संबंध में जांच की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केन्द्रीय अभिकरणों ने बैंकों या बैंक के निदेशक मंडल या बैंक कर्मचारियों की संपत्तियों को जब्त किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या केन्द्र सरकार ने उक्त राज्य में बड़े पैमाने पर सहकारी क्षेत्र में हुए घोटाले का विश्लेषण किया है और यदि हां, तो उक्त बैंकों का ब्यौरा क्या है और उन बैंकों की संख्या कितनी है जिनमें ऐसे घोटाले सामने आए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क) से (घ): ग्रामीण सहकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा विनियमित किया जाता है तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा पर्यवेक्षित किया जाता है जबकि शहरी सहकारी बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। तथापि, करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक केरल सहकारी समिति अधिनियम, 1969 के अंतर्गत पंजीकृत एक सहकारी समिति है जो सहकारी समिति पंजीयक , केरल सरकार के विनियमन और पर्यवेक्षण के अधीन है। इसलिए, उक्त संस्था एक बैंक नहीं है क्योंकि उसके पास आरबीआई से बैंकिंग लाइसेंस नहीं है और इसलिए यह आरबीआई के विनियामकीय दायरे में नहीं आता है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ईडी के कोच्चि क्षेत्रीय कार्यालय ने करुवन्नूर सेवा सहकारी बैंक धोखाधड़ी मामले की जांच के हिस्से के रूप में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के अंतर्गत विभिन्न व्यक्तियों की 10.98 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है।

(ङ): नाबार्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केरल राज्य में अपने पर्यवेक्षी अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सहकारी बैंकों में 31 दिसंबर, 2025 की स्थिति के अनुसार धोखाधड़ी की कुल बकाया राशि निम्नानुसार है:-

बैंक का नाम	**धोखाधड़ी की संख्या**	**बकाया राशि (करोड़ रु. में)**
केरल राज्य सहकारी बैंक	370	9.80
मलप्पुरम जिला केंद्रीय सहकारी बैंक	5	1.43

*****